

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3337
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 दिसंबर, 2015 को दिया गया)
एस.एफ.आई.ओ. का कार्यकरण

3337. श्रीमती मीनाक्षी लेखी:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) के कार्यकरण में तदर्थ दृष्टिकोण अपना रही है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या सरकार ने एस.एफ.आई.ओ. के भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) गत तीन वर्षों के दौरान एस.एफ.आई.ओ. में मंजूर और रिक्त पदों की संख्या कितनी है;
- (घ) क्या रिक्तियों से एस.एफ.आई.ओ. का कार्यकरण प्रभावित हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री

(श्री अरूण जेटली)

(क): गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना द्वारा किसी कंपनी से संबंधित धोखाधड़ी की जांच के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211 की उपधारा (1) के अंतर्गत सांविधिक रूप से अधिसूचित किया गया है जबकि पहले यह भारत सरकार के दिनांक 02 जुलाई, 2003 के संकल्प के अंतर्गत कार्य कर रहा था।

(ख): एसएफआईओ में पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 28 भर्ती नियमों (आरआर) में से 2 भर्ती नियम अधिसूचित किए गए हैं और 6 भर्ती नियम अधिसूचना हेतु भेजे गए हैं। शेष 20 भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया गया है और अधिसूचित किए जाने अंतिम चरण पर हैं।

(ग): एसएफआईओ में पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत और रिक्त पदों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं -

वर्ष	संस्वीकृत संख्या	रिक्त पद
01.01.2013	130	73
01.01.2014	130	74
01.01.2015	130	73

(घ) और (ङ): एसएफआईओ की प्रशासनिक ढांचे के मजबूत करने और इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए हाल में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

- (i) इस मंत्रालय ने कंपनी (निरीक्षण, अन्वेषण और जांच) नियम, 2014 के नियम 3 और 4(घ) के अंतर्गत जून, 2015 में विशेषज्ञों/सलाहकारों की नियुक्ति की एक योजना को अनुमोदन प्रदान किया है।
- (ii) एसएफआईओ में 9 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए सितंबर, 2015 में अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- (iii) एसएफआईओ के पैनल में शामिल करने के लिए 94 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को अक्टूबर, 2015 में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

- (iv) एसएफआईओ को बैंकिंग/विधि/वित्तीय विश्लेषण/लेखापरीक्षा और लेखांकन/सामान्य प्रशासन, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 24 सलाहकारों की नियुक्ति के लिए नवंबर, 2015 में अनुमोदन प्रदान किया गया है।
